

10 बिडर्स को बिड भरते समय पंजीयन पत्र व Tax Clearance Certificate/GST की प्रति को स्कैन कर लगाना अनिवार्य है।
11 किसी भी बिड को स्पीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्तें उस सीमा तक मान्य/लागु होंगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।

12 वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ 1(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.2011 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रु. की राशि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम रूप में देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस.एल.के पक्ष में व जायपुर में ऑनलाइन भुगतान योग्य होना चाहिये।

13 नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सुचित किया जायेगा।

14 बिड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

50 लाख से कम अनुमानित लागत	रुपये 500
50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 1000
150 लाख से 400 लाख तक अनुमानित लागत	रुपये 2000
400 लाख से अधिक अनुमानित लागत	रुपये 5000

15 ई-बिड के लिए बिडर्स हेतु निर्देश :-

• इन बिड में दिलचस्पी लेने वाले बिडर्स बिड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

• बिड में भाग लेने वाले बिडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक बिड में साईन करने हेतु काम आयेगा। बिडर्स उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडर्स के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है। बिडर्स को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करनाहोगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में रखीकार्य नहीं होगा।

इलेक्ट्रोनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।

• कोई भी बिड इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

• बिड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

16. बिड राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु से उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों कि विकल्प नहीं हो।

17. बिड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।

18. As per the Finance (G&T) Department notification no. Asvina-30 Friday. Saka 1943- October 22.2021 Jaipur. G,S.R.- 364-in exercise of the power conferred by section 55of the Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012 (Act No. 21 of 2012) the state Goverment hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan transparency in public Procurement.

Rules, 2013 namely:-

75A Additional Performance Security (i) In addition to Performance Security as specified in rule 75 an additional Performance security shall also be taken from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of unbalanced Bid Amount. The Additional Performance security shall be deposited in lump sum by the successfull. Bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited Demand Draft. Banker's Cheque, Government Securities or Bank Gurantee.

अधिशासी अभियंता (जोन पश्चिम)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

7. सहायक लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

8. अधिशासी अभियंता जोन-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/मुख्यालय/आर.ओ.बी./विद्युत/पी.एच.ई., जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

9. कैशियर/नोटिस बोर्ड।

10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड का प्रकाशन

<http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in dh वेबसाइट पर तुरन्त

प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेड्युल अपलोड होने के पश्चात बिड आई.डी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे।

11. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्ट्रेक्टर ऐसोसिएशन/ठेकेदार संघ रिंगिल जेडीए/पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ/.....।

अधिशासी अभियंता (जोन पश्चिम)

जोधपुर विकास प्राधिकरण,

जोधपुर